न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 01/2022

उनवान

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91
राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प०ह०पींगलोद बनाम श्री नरेन्द्र सिंह,मानसिंह, हनुमानसिंह,पिता चैनसिंह
जाति राजपूत निवासी तित्यारी

निर्णय

दिनांकः– 07.03.2022

पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी क्रमांक नम्बर 2 उपस्थित हुए व जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल हो। प्रस्तुत जवाब की जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई जिसके अनुसार अप्रार्थी गण का अतिक्रमण मौजूद हैं। अतः मामला निर्णीत किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम तित्यारी के आराजी खसरा नंबर 126 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0–03 बीघा भूमि पर बाड़ लगाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रमांक 2 उपस्थित हुए जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल हो। प्रस्तुत जवाब रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई। हमने पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन मनन किया। पटवारी हल्का रिपोर्टानुसार अप्रार्थी का अतिक्रमण मौजूद है। अतः मामला निर्णीत किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम तित्यारी के आराजी खसरा नंबर 126 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0–03 बीघा से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.04 का 50 गुणा 02/–रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय नायब तहसीलदार रुपनगढ़ (अजमेर)

वर्ष 2021-22 रा.ले.सं.4 के पृष्ठ संख्या 4 पर क्र. 02/– की मांग कायमी की गई। 14/3/22
तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
रुपनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner